

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

सं.2010/टेली/11(2)/1

नई दिल्ली, दिनांक 30/01/2015

महाप्रबंधक

सभी भारतीय रेलें, सभी उत्पादन इकाइयां, कोर/इलाहाबाद,  
महानिदेशक/अ.अ.मा.सं. एवं रेलवे स्टाफ कॉलेज, महानिरीक्षक/रेलवे सुरक्षा विशेष बल  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/कॉफमो, डीसीडब्ल्यू, आईआरपीएमयू एवं छपरा एवं रायबरेली में स्थित नई  
उत्पादन इकाइयां,  
निदेशक/ इरिसेट, इरिसेन, इरीन, इरिमी, इरिटम  
अध्यक्ष, सभी भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/रेलटेल/गुड़गांव.

टेलीकॉम परिपत्र सं. 1/2015

विषय:-भारतीय रेलवे में सीयूजी सुविधा की अवधि बढ़ाना।

- संदर्भ : (i) बोर्ड का दिनांक 07.06.2006 का पत्र सं. 2004/टेली/टीएन/3  
(ii) बोर्ड का दिनांक 27.07.2007 का पत्र सं. 2006/टेली/टीएन/1  
(iii) बोर्ड का दिनांक 15.02.2008 का पत्र सं. 2004/टेली/टीएन/3/पार्ट  
(iv) बोर्ड का दिनांक 21.10.2011 का पत्र सं. 2010/टेली/11(2)/1  
(v) बोर्ड का दिनांक 29.09.2014 का पत्र सं. 2010/टेली/11(2)/1

\*\*\*\*\*

मौजूदा सीयूजी योजना जिसे अक्टूबर, 2011 में रेलटेल द्वारा अंतिम रूप दिया गया था, की वैधता की बढ़ाई गई अवधि 31.01.2015 को समाप्त हो रही है। रेलटेल ने उपलब्ध समय के भीतर संशोधित सीयूजी योजना को अंतिम रूप देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है और मौजूदा सीयूजी संविदा की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है।

मौजूदा सीयूजी संविदा की अवधि बढ़ाने के मामले पर बोर्ड कार्यालय में विचार किया गया है और यह विनिश्चय किया गया है कि दिनांक 29.09.2014 के समसंख्यक पत्र के तहत परिपत्रित मौजूदा सीयूजी संविदा की वैधता पुनः उन्हीं निबंधन एवं शर्तों के साथ 3 माह के लिए (30 अप्रैल, 2015 तक) या नई संविदा को अंतिम रूप दिए जाने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाए।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।



(हरीश पवारिया)  
निदेशक/टेली

ई-मेल [dtele@rb.railnet.gov.in](mailto:dtele@rb.railnet.gov.in)

फोन नं. 011-23388504.

सं.2010/टेली/11(2)/1

नई दिल्ली, दिनांक 30/01/2015

प्रतिलिपि प्रेषित:

- (i) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
- (ii) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (निर्माण), सभी भारतीय रेलें
- (ii) भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलवे), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली

← जय

कृते वित्त आयुक्त/ रेलवे

प्रतिलिपि प्रेषित:

- (i) वित्त (व्यय)II और बजट शाखाएं, रेलवे बोर्ड
- (ii) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, आईआरपीएमयू, नई दिल्ली
- (iii) मुख्य सिग्नल एवं टेलीकॉम इंजीनियर, सभी भारतीय रेलें
- (iv) कार्यपालक निदेशक/टेलीकॉम/अअमासं लखनऊ को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए